[29/12/2020]

प्रश्न सं. [क्र. 343]

सहायक आयुक्त (अंके.) सहकारिता जिला भोपाल

(डी ब्लाक पुराना सचिवालय)

विधान सभा प्रश्न कं. अतारंकित 343 की जानकारी परिशिष्ट 1

शिल्पी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या. भोपाल

कं.	अंकेक्षक का नाम	अंकेक्षण वर्ष
1	एम. के. श्रीवास्तव	1992–93
2	ए.पी.एस.कुशवाह	1993–94
3	एस.एल.दिलारे	1994–95
4	एच.एन.वर्मा	1995–96
5	बी.आर.जंगले	1996–97
6	पी. के. श्रोती	1997–98
7	डी.एस.यादव	1998–99
8	अकरम कुरैशी	1999–2000
9	एन. के. जैन	2000–01
10	आर. एस. उपाध्याय	2001–02
11	एन. के. शाक्य	2002–03
12	बी.आर.जंगले	2003–04
13	एम. एस. सिद्दिकी	2004–05
14	डी. के. गुप्ता	2005–06
15	अनिल अग्रवाल	2006–07
16	बी. पी. पाटिल	2007–08
17	बृजेश चौहान	2008–09
18	पंकज श्रीवास्तव	2009–10
19	एन.एस.चौहान	2010–11
20	बी.आर.जंगले	2011–12
21	के. एम. स्वर्णकार	2012–13
22	आर.के.कातुलकर	2013–14
23	जी.एस.मकवाना	2014–15
24	पंकज श्रीवास्तव	2015–16
25	ज्ञान चन्द्र पाण्डेय	2016–17
26	सुविता सेम्युअल	2017–18

18/12/2020

सहायक आयुक्त (अंके)
सहकारिता जिला भोपाल

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
सहकारिता विभाग

परिशिष्ट - 2
विधान सभा सत्र दिसम्बर 2020
अतारांकित प्रश्न श्रीमती मनीषा सिंह
क्रमांक - दिनांक - 29-12-20

कार्यालय, उप पंजीयक सहकारी संस्थायें, जिला भोपाल

(डी ब्लॉक पुराना सचिवालय भोपाल)

कमांक/विधि/2020/3956 भोपाल, दिनांक 20/12/2020

आदेश

(म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 49 (7) (क–ख) के अंतर्गत)

शिल्पी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल, पंजीयन क्रमांक/डीआरबी/383 दिनांक 12.12.1983 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के संचालक मंडल का गत निर्वाचन दि. 12.12.2015 को सम्पन्न हुआ था। उक्त निर्वाचित संचालक मंडल का 05 वर्ष का कार्यकाल दि. **11.12.2020 को समाप्त हो चुका है।**

म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (संशोधन अधिनियम 13 अपैल, 2015) धारा 49 (7)(क–ख) अनुसार **"संचालक मंडल के कार्यकाल के 05 वर्ष पूर्ण हो जाने पर संचालक मंडल के सदस्यों के पद ऐसे दिन से स्वतः रिक्त हो गये समझे जायेगें और रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासक प्रभार ग्रहण कर लेगा.........................."**।

इस प्रावधान के तहत उक्त संस्था में प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक हो गयी है। अतः मैं **बबलू सातनकर** उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल **म.प्र. शासन सहकारिता विभाग** की विज्ञप्ति कमांक–एफ–5–1–99/पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26.07.1999 एवं म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 एवं (संशोधन) अधिनियम अप्रैल 13 अपैल, 2015 की धारा 49(7)(क–ख) के अंतर्गत पंजीयक सहकारी संस्थायें म0प्र0 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये **शिल्पी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल** के संचालक मंडल का कार्यकाल पूर्ण हो जाने एवं उनके द्वारा धारित पद स्वतः रिक्त हो जाने के कारण **संस्था के प्रबंध संचालन** हेतु **श्री आर.एस.उपाण्याय वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक** को संस्था के कार्य संचालन हेतु "प्रशासक" नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 20-12-20 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया है।

(बबलू सातनकर)
उप पंजीयक
सहकारी संस्थायें, जिला भोपाल

कमांक/विधि/2020/3956 भोपाल, दिनांक 20/12/2020

प्रतिलिपि :–

1. **श्री आर.एस.उपाध्याय वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक** एवं प्रशासक **शिल्पी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल** की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है,कि संस्था से अभिलेख प्रभार में प्राप्त कर तत्काल इस कार्यालय को अवगत करावें।
2. पूर्व **अध्यक्ष शिल्पी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल** की ओर भेंजकर निर्देशित किया जाता है, कि संस्था के अभिलेख तत्काल प्रशासक को सौंपें।
3. महाप्रबंधक केन्द्रीय सहकारी बैंक मर्या. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. कार्यालयीन निर्वाचन कक्ष की ओर सूचनार्थ।

उप पंजीयक
सहकारी संस्थायें, जिला भोपाल

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
सहकारिता विभाग